संख्या 22/16/92–का–2/1996–टी०सी०-III

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 5 जनवरी,1996

विषय–राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०484/का–1/94–1/1/1995, दिनांक 29 मार्च, 1994 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके प्रस्तर–3 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा 9 के अधीन लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया था कि भविष्य में आरक्षण का दावा करने के लिये वांछित "जाति प्रमाण-पत्र" जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो, द्वारा जारी किया जायेगा परन्तु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट या संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। उक्त शासनादेश के साथ शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र भी संलग्न कर जारी किये गये थे, जिनमें से "उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र" शासनादेश संख्या 22/16/92–का–2–95–टी०सी०, दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के साथ संलग्न प्रपत्र द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

2–उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "1984(6)एस सी सी 241, कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल" नामक वाद में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1994 को पारित निर्णय तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या 2884(एम०बी०) आफ 1995–"डा० आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य", में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के अनुपालन में, उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन द्वारा नीति निर्धारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

आवेदन-पत्र का प्रस्तुतीकरण व जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

(1) आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र उस क्षेत्र, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह वयस्क हो, अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, यदि वह अवयस्क हो, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, या जनजातीय-समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण उत्तर प्रदेश, तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जाय।

(2) उपरोक्तानुसार जिस अधिकारी को जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, संतुष्ट होने पर, उस अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र सदस्य का सत्यापन

(3) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये गये जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा शासन द्वारा गठित की गयी निम्नलिखित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किये जाने वाले "जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन" के अधीन अनुमन्य होगा, जिसके लिए उक्त स्क्रूटनी कमेटी को यथास्थिति स्वयं अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, शैक्षिक आदि संस्थाओं में प्रवेश अथवा किसी पद/सेवा में नियुक्ति के यथासम्भव 6 मास पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जायेगाः—

(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2) निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)	सदस्य
या निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र० (नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में)	
(3) अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित अधिकारी, जिन्हें संबंधित विषय का अत्यधिक ज्ञान हो,	अतिरिक्त सदस्य
अथवा अनुसूचित जनजाति के संबंध में, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, जनजातीय समुदाय के वर्ग/भाग के चिन्हीकरण से संबंधित शोध कार्य में लगे, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित, एक अधिकारी	

टिप्पणीः—जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही यदि अभ्यर्थी को, आरक्षण कोटे में, शैक्षिक आदि संस्था में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त (प्रावीजनली) प्रवेश/नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जो जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

(4) उ०प्र० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उ०प्र० पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन एक-एक सतर्कता-कोष्ठक कार्य करेगा तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी जो "सतर्कता अधिकारी" पदनामित किये जायेंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे, जिनकी सेवाऐं पदों सहित शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी।

(5) जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु स्क्रूटनी कमेटी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वे यथाशीघ्र उसे संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगे, जो उसे अपने अधीन कार्यरत सतर्कता-कोष्ठक को सौंपेगे। सतर्कता-कोष्ठक के संबंधित पुलिस निरीक्षक अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यतः निवास किये जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाण-पत्र की जांच करेंगे तथा उसकी जांच के पश्चात् सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन्म पंजीयन आदि का परीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक अथवा अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरान्त विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या संबंधित निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

(6) यदि संबंधित सतर्कता-कोष्ठक की जांच पड़ताल के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित हो जाता है तो संबंधित निदेशक द्वारा "जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन" कर दिया

जायेगा, परन्तु जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापित न होने की दशा में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) संबंधित निदेशक द्वारा सतर्कता अधिकारी की आख्या की प्रति भेजते हुए अभ्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस पावती पंजीकृत डाक द्वारा अथवा संबंधित संस्था, जहां वह अध्ययनरत् हो या सेवारत हो, के अध्यक्ष (हेड) के माध्यम से दी जायेगी, जिसमें नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी से अभ्यावेदन या उत्तर, यदि वह देना चाहें, दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) ऐसा अभ्यावेदन या उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी के अनुरोध पर अधिक से अधिक नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन का समय दिया जा सकता है, से अधिक नहीं।

(3) समयान्तर्गत प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन या उत्तर में यदि अभ्यर्थी सुनवाई का अवसर प्रदान करने या इस विषय में अन्वेषण (इन्क्वायरी) कराने का अनुरोध करता है तो अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित निदेशक स्क्रूटनी-कमेटी और उसके अध्यक्ष को अवगत करायेंगे, जो अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता के पक्ष में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेंगे और संबंधित गांव या आबादी में उद्घोषणा द्वारा या अन्य सुलभ रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना पर यदि उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता का कोई व्यक्ति या संगठन, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विरोध करता है तो उसे अपने विरोध के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर अभ्यर्थी भी अपने पक्ष को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) स्क्रूटनी-कमेटी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व विपक्षियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां आदि के प्रकाश में, विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित करेगी, जिसमें कमेटी के निष्कर्षों के समर्थन में संक्षिप्त कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(5) उपरोक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र दिन प्रतिदिन के आधार पर इस प्रकार की जायेगी कि अनाधिक 2 मास की अवधि में पूरी हो जाय।

(6) कमेटी के निर्णयों से अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को निर्णय लेने के एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने का परिणाम

(7) यदि स्क्रूटनी-कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है तो:–

(क) कमेटी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे व उक्त जाति प्रमाण-पत्र को जब्त कर लिया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, संबंधित शैक्षिक आदि संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी से, पंजीकृत डाक से अनुरोध किया जायेगा कि यथास्थिति संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश/ नियुक्ति को बिना कोई नोटिस दिये तत्काल निरस्त कर दें और तद्नुसार आगे अध्ययनरत या यथास्थिति उसे पद/सेवा पर बने रहने से वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) संबंधित अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

3–अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
कालिका प्रसाद,
सचिव।

संख्या 22/16/92(1)/का–2/1996टी०सी०–III, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

(2) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) निदेशक, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, उ०प्र०/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र०।

(6) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) सचिव, नगर विकास/आवास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) निबन्धक, उ०प्र० सहकारी समितियां, लखनऊ।

(10) निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ।

(11) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(12) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।

(13) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०।

(14) निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(15) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(16) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(17) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(18) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(19) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(20) समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/नगर महापालिका/नगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(21) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ०प्र०।

(22) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(23) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा० जी०पी० वार्ष्णेय,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 38 सा० नियुक्ति–23–3–2010–(2633)–1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफ़सेट)।